<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 07.10.2025</u>

<u>मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत "रन फॉर एंपावरमेंट" का आयोजन, महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के संदेश के साथ दौड़ी गोण्डा पुलिसः—</u>

गोण्डा। आज दिनांक 07.10.2025 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के नेतृत्व में मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत "रन फॉर एंपावरमेंट" का आयोजन किया गया, जिसमें गोण्डा पुलिस की मिशन शक्ति टीम की महिला पुलिसकर्मियों ने महिला अधिकारियों के नेतृत्व में उत्साहपूर्वक भाग लिया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा हरी झंडी दिखाकर इस दौड़ का शुभारंभ किया गया, जो गोण्डा पुलिस लाइन से प्रारंभ होकर कचहरी, अंबेडकर चौराहा, एनसीसी कार्यालय होते हुए यातायात कार्यालय पर संपन्न हुई। इस दौड़ का उद्देश्य समाज में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के प्रति जनजागरूकता फैलाना एवं आमजन को मिशन शक्ति अभियान से जोड़ना रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 22 सितंबर 2025 को शारदेय नवरात्रि के अवसर पर मिशन शक्ति अभियान के पाँचवें चरण का शुभारंभ किया गया था, जिसके अनुपालन में गोण्डा पुलिस द्वारा निरंतर विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अभियान के अंतर्गत सभी थानों पर मिशन शक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहाँ महिलाओं को सुरक्षा, सहायता एवं परामर्श की सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा रही हैं। एंटी रोमियो टीमों को सक्रिय कर सार्वजनिक स्थलों, विद्यालयों, कोचिंग संस्थानों व बाजारों में सतत निगरानी रखी जा रही है तथा चिन्हित असामाजिक तत्वों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। साथ ही महिला पुलिसकर्मियों द्वारा स्कूलों, कॉलेजों, बाजारों व सार्वजनिक स्थलों पर पंपलेट वितरित कर महिलाओं और बालिकाओं को विभिन्न हेल्पलाइन सेवाओं— 1090, 181, 112, 108 आदि के बारे में जानकारी दी जा रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन समाज की प्राथमिक जिम्मेदारी है, और गोण्डा पुलिस निरंतर इस दिशा में प्रयासरत है। उन्होंने जनसहभागिता पर बल देते हुए कहा कि समाज के सभी वर्गों को महिलाओं की सुरक्षा व सशक्तिकरण में सहयोग देना चाहिए। आने वाले दिनों में भी गोण्डा पुलिस द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत जनसंवाद, साइबर सुरक्षा जागरूकता शिविर, वाद—विवाद प्रतियोगिता तथा अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा ताकि मिशन शक्ति अभियान 5.0 के उद्देश्यों को पूर्ण रूप से साकार किया जा सके। गोण्डा पुलिस की यह पहल महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण व प्रेरणादायक कदम है जो समाज में महिलाओं के प्रति सुरक्षा, सम्मान और समानता का सशक्त संदेश देती है।
<u>इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, क्षेत्राधिकारी लाइन सुश्री शिल्पा वर्मा, प्रतिसार निरीक्षक अजय प्रताप सिंह सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहें।</u>

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 07.10.2025

थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर फोटो वायरल कर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाही–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0–89/2025, धारा 352/351(3)/77 बी.एन.एस. व 67 आईटी एक्ट से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त– अलखराम वर्मा पुत्र दीक्षाराम वर्मा निवासी खडहवा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा को रेलवे स्टेशन गोण्डा से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद सैमसंग मोबाइल बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 03.04.2025 को थाना कर्नलगंज क्षेत्रान्तर्गत रहने वाली एक लड़की द्वारा थाना को0 कर्नलगंज में लिखित तहरीर दी कि अलखराम वर्मा पुत्र दीक्षाराम वर्मा निवासी हडहवा, थाना मोतीगंज द्वारा पिछले लगभग 1.5 से 2 वर्षों से सोशल मीडिया (इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि) पर उसकी एवं उसके भाई राहुल तिवारी की फोटो अपलोड कर अभद्र भाषा का प्रयोग, जान से मारने की धमकी, तथा झूठी व अपमानजनक बातें फैलाकर बदनाम किया जा रहा है। उक्त कृत्य से प्रार्थिनी की निजता का हनन व मानहानि हुई है तथा परिवार मानसिक रूप से परेशान है। वादिनी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 कर्नलगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 07.10.2025 को थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा प्राप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोपी अभियुक्त–अलखराम वर्मा पुत्र दीक्षाराम वर्मा निवासी खडहवा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा को रेलवे स्टेशन गोण्डा से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. अलखराम वर्मा पुत्र दीक्षाराम वर्मा निवासी खडहवा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0– 89/2025, धारा 352/351(3)/77 बी.एन.एस. व 67 आईटी एक्ट थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद सैमसंग मोबाइल फोन।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. अति० निरीक्षक अरविन्द कुमार।
02. का० माधव मुरारी मिश्रा।

मीडिया सेल, गोण्डा।